#### Central Goods & Services Tax Act, 2017

## <sup>1</sup>[Section 44: Annual return

Section 44 substituted by The Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-08-2021 by Noti. No. 29/2021–Central Tax, dt. 30-07-2021. Earlier to substitution it read as under:

#### Section 44: "Annual return

- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year.
  - <sup>A</sup>[Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:
  - **Provided further** that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.]
- (2) Every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 35 shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.
  - <sup>B</sup>[Explanation-For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the <sup>G</sup>[31st January, 2020] and the annual return for the period from the 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 shall be furnished on or before the 31st March, 2020.]"
    - **A. Proviso** inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 w.e.f. 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020-Central Tax, dt. 01-01-2020.
    - **B.** Substituted by ROD Order No. 08/2019-Central Tax, dt. 14-11-2019. Earlier it was read as under:
      - "<sup>c</sup>[Explanation.-For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the <sup>D</sup>[30<sup>th</sup> November, 2019]]"
      - C. Inserted by Order No. 1/2018-Central Tax dated 11-12-2018.
      - **D.** Substituted for "E[31st August, 2019]" by Order No. 7/2019-Central Tax, dt. 26-08-2019.
        - **E.** Substituted for "F[30th June, 2019]" by Order No. 6/2019-Central Tax, dt. 28-06-2019.
          - **F.** Substituted for "31st March, 2019" by Order No.03/2018-Central Tax. dt. 31-12-2018.
    - **G.** Substituted by Order No. 10/2019-Central Tax, dt. 26-12-2019 before it was read as "31st December, 2019".

#### Central Goods & Services Tax Act, 2017

<sup>2</sup>[(1)] Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

**Provided** that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

**Provided further** that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.]

<sup>3</sup>[(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under subsection (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

**Provided** that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.]

<sup>2</sup> Re-numbered as sub-section (1) by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified

<sup>3</sup> Sub-section (2) inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

# 1[धारा ४४ : वार्षिक विवरणी

<sup>2</sup>[(1)] किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा धारा 44 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 29 / 2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.07.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.08.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

### धारा ४४ : वार्षिक विवरणी

(1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रोनिकी रूप में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

^[परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

**परन्तु** यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।]

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित् पूर्तियों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, के साथ इलैक्ट्रोनिक रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

<sup>B</sup>[स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए वह घोषणा की जाती है कि, 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अविध के लिए वार्षिक विवरणी <sup>G</sup>[31 जनवरी, 2020] को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अविध के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकेगी।]

- वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।
- B. केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) ओदश, 2019 [आदेश क्रमांक 8/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 14.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित।

### प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

**[स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह घोषणा की जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी <sup>D</sup>[30 नवम्बर, 2019] को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकेगी।

- यह स्पष्टीकरण केन्द्रीय माल और सेवा कर (किठनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 [आदेश क्रमांक 1/2018–केन्द्रीय कर] दिनांक 11.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था।
- D. केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 7 / 2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 26.08.2019 द्वारा "<sup>E</sup>[31 अगस्त, 2019]" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  - E. पहले केन्द्रीय माल और सेवा कर (किठनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 6/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 28.06.2019 द्वारा "F[30 जून, 2019]" के स्थान पर ''31 अगस्त. 2019'' प्रतिस्थापित।
    - ह. इसके पहले केन्द्रीय माल और सेवा कर (कित्ताईयों को दूर) आदेश, 2018 [आदेश क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर] दिनांक 31.12.2018 द्वारा "31 मार्च, 2019" के स्थान पर "30 जून, 2019" प्रतिस्थापित।
- G. केन्द्रीय माल और सेवा कर (किंटिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 10/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 26.12.2019 द्वारा "31 दिसम्बर, 2019" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 6/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 03.02.2020 द्वारा जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 की अविध के लिए वार्षिक रिटर्न (फार्म 9) और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 9—C) प्रस्तुत करने की नियम तारीख 5/07.02.20 तक बढ़ाई गई।
- 2 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रारूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचिना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और इस धारा में की गई कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबिहयां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन है, लागू नहीं होगी।

<sup>3</sup>[(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिये उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।]

<sup>3</sup> वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (2) अंतः स्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।